रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 1972/वैशाख 8, 1894

No. 224] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 1972/VAISAKHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th April 1972

S.O. 320(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri Ghanshyambhai Chhotalal Oza, a member elected to that house from 3-Rajkot parliamentary constituency in the State of Gujarat;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 31st May, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/GJ-HP/1/72.]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 320(अ).—यतः, गुजरात राज्य में के 3-राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री घनश्याम भाई छोटालाल ओझा के त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 31 मई, 1972 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/गुज०—लो० स०/1/72]

S.O. 321(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 3-Rajkot parliamentary constituency in the State of Gujarat in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/1/72, dated the 28th April, 1972:

(a) the 5th May, 1972 (Friday) as the last date for making nominations;

(b) the 6th May, 1972 (Saturday) as the last date for the scrutiny of nominations;

(c) the 8th May, 1972 (Monday) as the last date for the withdrawal of candidatures.

(d) the 28th May, 1972 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 31st May, 1972 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/GJ-HP/1/72(1).]

एस० आ० 321(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 130 के उपबन्धों के अनुसरण मे, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/गुज/लो० सं०/1/72, तारीख 28 अप्रैल, 1972 के अनुसरण में, गुजरात राज्य में के 3—राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिये अन्तिम तारीख	5 मई, 1972 (शुक्रवार);
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	6 मई, 1972 (शनिवार) ;
(ग) अभ्यर्थिताएँ वापस लेने की अन्तिम तारीख	8 मई, 1972 (सोमवार) ;
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	28 मई, 1972 (रविवार) , तथा
(ङ) वह तारीख; जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	31 मई, 1972 (बुधवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/गुज-लो० स०/1/72]

S.O. 322(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 3-Rajkot parliamentary constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/1/72, dated the 23th April, 1972.

[No. 100/GJ-HP/1/72(2).]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० आ० 322(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना स० 100/गुज०-लो०स०/1/72, तारीख 28 अप्रैल, 1972 के अनुसरण में, 3-राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/गुज-लो०स०/1/72(2)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972